संख्याः /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-27(6/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांक 17 मई, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 1890/मान्यता/सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 21.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, एवं राजनीति विज्ञान)	80 सीट प्रति विषय	2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3– मा0 कुलाधिपति द्वारा उक्त कॉलेज को कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई है। भविष्य में यदि कॉलेज की सम्बद्धता पर कोई प्रश्न चिन्ह अथवा वाद उत्पन्न होता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व कुलपति/विश्वविद्यालय का होगा।

4. अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू.जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्याः 610 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-27(6)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।